न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 117/2021
जीसीएमएस न0 2021/278

1 श्री घनश्याम पिता दल्ला जी उर्फ दलीचंद जी जाति तेली निवासी कुम्हारों का मोहल्ला सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज.।

.... प्रार्थी

// बनाम //

1 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक:– 14.07.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता सं. 138 नया व पुराना 137 की खसरा सं. 586 रकबा 0.4700 हेक्टेयर व खसरा सं. 587/2436 रकबा 0.0600 हेक्टेयर कुलिया खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 0.5300 हेक्टेयर होकर मुझ प्रार्थी की 1/5 हक हिस्से की जमीन पुश्तैनी होकर मौके पर मैं काबिज हूं।

2. प्रार्थी के पिता दल्ला जी का नामान्तरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की तकनीकी गलती एवं टंकण की गलती की वजह से प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र दल्ला जी दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम घनश्याम पिता दल्ला जी उर्फ दलीचंद जी है। प्रार्थी का आधार कार्ड, निवार्चन आयोग का पहचान पत्र सहित सभी दस्तावेजों में घनश्याम नाम ही है पप्पू नाम नहीं है। गांव सतखण्डा में भी घनश्याम के नाम से ही जाना जाता है।

3. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया उक्त वर्णित आराजियात में मुझ प्रार्थी का नाम पप्पु की जगह घनश्याम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने द्वारा प्रस्तुत [illegible] किया कि ग्राम सतखण्डा की वर्तमान आराजी नम्बर 586 रकबा 0.47 है[illegible]र [illegible] आराजी नम्बर 587/2436 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता–2 [illegible] 0.53 हैक्टे[illegible] [illegible] रेकार्ड प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र दल्ला हिस्सा 1/5 [illegible] खातेदार रहन आई.सी.आई.सी. आई बैंक लि० शाखा निम्बाहे[illegible] है। ग्राम में मजमे आ[illegible]च में जाहिर आया कि प्रार्थी का बोलचाल का [illegible] पप्पु है जिसका आ[illegible]र्ड, पहचान पत्र एवं परिवार कार्ड में दर्ज नाम घनश्याम है, जो वास्तविक एवं सही है। मौके पर प्रार्थी के पिता दल्ला की विरासत नामान्तरण कार्यवाही लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई थी तब प्रार्थी नामान्तरण कार्यवाही से अनभिज्ञ था, जिससे नामान्तरण बोलते नाम से दर्ज हो गया। वर्तमान में आधार कार्ड, पहचान पत्र में नाम खाते से भिन्न होने से समस्या हो रही है। ग्राम में जांच अनुसार श्री दल्ला जी तेली के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:11:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

प्रार्थी घनश्याम के अलावा अन्य कोई वारिस पप्पु नाम से नहीं था। अतः प्रार्थी का ग्राम सतखण्डा की आराजी नम्बर 586, 587/2436 किता–2 रकबा 0.53 हैक्टेयर में दर्ज नाम पप्पु पुत्र दल्ला तेली के बजाय घनश्याम पुत्र दल्ला उर्फ दलीचंद तेली की शुद्धि (संशोधन) किया जाना उचित है।

5. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 138 की आराजी नम्बर 586 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 587/2436 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि की प्रमाणित प्रति पेश की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी के पिता दल्ला की विरासत नामान्तरण कार्यवाही लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई थी तब प्रार्थी नामान्तरण कार्यवाही से अनभिज्ञ था, जिससे नामान्तरण प्रार्थी के बोलते नाम पप्पु के नाम से दर्ज हो गया। जिसके कारण वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 138 में प्रार्थी का नाम पप्पु पिता दल्ला दर्ज चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम घनश्याम है। राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न होने से प्रार्थी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पप्पु की जगह घनश्याम दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार निम्बाहेडा ने प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम में मजमे आम में जाहिर आया कि प्रार्थी का बोलचाल नाम पप्पु है लेकिन प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम घनश्याम है जो वास्तविक एवं सही है। ग्राम में जांच अनुसार श्री दल्ला जी तेली के घनश्याम के अलावा अन्य कोई वारिस पप्पु नाम से नहीं था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम सतखण्डा की आराजी नम्बर 586, 587/2436 किता–2 रकबा 0.53 हैक्टेयर में प्रार्थी का दर्ज नाम पप्पु पुत्र दल्ला तेली के बजाय घनश्याम पुत्र दल्ला उर्फ दलीचंद तेली संशोधन किये जाने की अनुशंषा की इसलिए प्रार्थी के दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का नाम ग्राम सतखण्डा की आराजी नम्बर 589, 587/2436 किता–2 रकबा 0.53 हैक्टेयर में पप्पु पिता दल्ला तेली के बजाय घनश्याम पुत्र दल्ला उर्फ दलीचंद तेली किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को ग्राम सतखण्डा की जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 138 की आराजी नम्बर 586, 587/2436 कुल [illegible] रकबा 0.53 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र दल्ला तेली के बजाय घनश्याम [illegible] उर्फ दलीचंद तेली दर्ज करने के आदेश दिए जाते है एवं [illegible] जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:11:31 IST
Reason: SelfAttested

7. निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को लिखा [illegible] जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

14/7/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा